न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0न0 — 41/2024

उनवान : —

1. भूपसिंह पुत्र राजाराम जाति मेघवाल निवासी खचवाना तहसील भादरा।

— प्रार्थी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र झिण्डूराम जाति मेघवाल निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।

—अप्रार्थी

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

श्री संदीप गोदारा प्रार्थी
श्री श्रवण सहारण अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि रोही मौजा चक 1 एनटीआर के खाता सं0 38/51 के मु0 न0 50 के किला न0 12 ता 14, 17 ता 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 21/1 की 0.228है0, किला न0 21/2 की 0. 025है0, किला न0 22/1 की 0.228है0, किला न0 22/2 की 0.025है0, किला न0 23/1 की 0.228है0, किला न0 23/2 की 0.025है0, किला न0 24/1 की 0.228है0, किला न0 24/2 की 0.025है0, किला न0 25/1 की 0.215है0, किला न0 25/2 की 0. 038है0, कुल 3.2890है0 जिसमें नहरी 3.1510है0, गै0 मु0 रास्ता 0.138है0 में वादी भूपसिंह के नाम 590/3289 हिस्सा, पप्पूराम के नाम 84/3289 हिस्सा, प्रताप के नाम 3048/16445 हिस्सा, रामीदेवी के नाम 146/253 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम 537/16445 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं दावा में अप्रार्थी सं0 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका मौखिक भाई बंटवारा होने के बाद अपने अपने हिस्सा अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे थे। परन्तु प्रताप ने बिना खाता व लगान अलग करवायें ही पूर्व में भी अप्रार्थी सं0 1 मांगेराम को भूमि विक्रय कर दी थी। एवं वर्तमान में भी अप्रार्थी बिना खाता [illegible] भूमि की अच्छी किस्म को बैचान करने पर उतारू है। अतः प्रार्थी जरिये अ[illegible]धाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि वे [illegible]ना करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:41:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 1 को जरिये सूचना तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 तामिल उपरान्त जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

... पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि रोही ... एनटीआर के खाता सं0 38/51 के मु0 न0 50 के किला न0 12 ता 14, ... 20 प्रत्येक किला की 0.253है0, किला न0 21/1 की 0.228है0, किला न0 21/2 ... 0.025है0, किला न0 22/1 की 0.228है0, किला न0 22/2 की 0.025है0, किला न0 23/1 की 0.228है0, किला न0 23/2 की 0.025है0, किला न0 24/1 की 0.228है0, किला न0 24/2 की 0.025है0, किला न0 25/1 की 0.215है0, किला न0 25/2 की 0.038है0, कुल 3.2890है0 जिसमें नहरी 3.1510है0, गै0 मु0 रास्ता 0.138है0 में वादी भूपसिंह के नाम 590/3289 हिस्सा, पप्पूराम के नाम 84/3289 हिस्सा, प्रताप के नाम 3048/16445 हिस्सा, रामीदेवी के नाम 146/253 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 मागेराम के नाम 537/16445 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं दावा में अप्रार्थी सं0 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका मौखिक भाई बंटवारा होने के बाद अपने अपने हिस्सा अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे थे। परन्तु प्रताप ने बिना खाता व लगान अलग करवायें ही पूर्व में भी अप्रार्थी सं0 1 मांगेराम को भूमि विक्रय कर दी थी। एवं वर्तमान में भी अप्रार्थी बिना खाता व लगान अलग करवाये भूमि की अच्छी किस्म को बैचान करने पर उतारु है।अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि के रिकार्ड व मौका की यथारिथति बनायें रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अप्रार्थी सं0 1 किसी भी प्रकार का अजनबी व्यक्ति नही है। खचवाना, भरवाना व सरदारगढिया सारे गांव एक दूसरी से मिलते जुलते गांव है व एक दूसरे गांव की सीमा मिलती है। अरथाई निषेधाज्ञा दरख्वास्त पेश करने से पूर्व सायल भूपसिंह ने न्यायालय में खाता विभाजन हेतू अर्जीदावा पेश किया हुआ था जिसमें न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी जाकर विभाजन प्रस्ताव भी पेश किया जा चुका है, उक्त भूमि में से प्रताप द्वारा अपने हक हिस्सा में से 0.1074 हिस्सा भूमि का बैयनामा मिन मांगेराम के नाम से करवा दिया। जिसका नामान्तरण भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। प्रार्थी भूपसिंह जानबुझकर अप्रार्थी सं0 1 मांगेराम को खरीदशुदा भूमि को अपने उपयोग उपभोग में नहीं लेने देना चाहता व प्रार्थी भूपसिंह ने अप्रार्थी मांगेराम द्वारा खरीदशुदा भूमि पर काश्त की गई ग्वार की फसल को अन्य भाई–भतीजों के साथ मिल[illegible]ी हुई फसल को ट्रैक्टर से निकालकर ले गया, उस पर खडे ह[illegible] अब जबरदस्ती अप्रार्थी की खरीदशुदा भूमि में सरसों की बिजाई कर दी है। उक्त भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथारिथति बाबत अस्थाई की आड में प्रार्थी खुद अप्रार्थी को परेशान कर रहा है। एवं राजरथान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज प्रावधानों कि सहखातेदार द्वारा किसी भी अन्य सहखातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा लिया जाना कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारीज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.03.07 11:01:44 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit

उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली क ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया [illegible]गण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। हम [illegible] को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के [illegible] के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी है। उक्त भूमि के विभाजन का मूल वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है। प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी भी वाद भूमि का सहखातेदार है। प्रार्थी के भाई प्रताप द्वारा अप्रार्थी सं0 1 मांगेराम को उक्त भूमि में से अपने घरेलू जरूरतों के लिए कुछ हिस्सा की भूमि का बेचान किया गया था व उक्त भूमि का नामान्तरण भी अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार उक्त वादभूमि में प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी सं0 1 को भी उक्त वादभूमि के उपयोग उपभोग का उतना ही अधिकार है जितना प्रार्थी का है क्योंकि संयुक्त मुश्तर्फा की भूमि में सह खातेदारों का उपयोग उपभोग करने सभी का बराबर का हक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित है।

2 सुविधा का संतुलनः— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। उक्त वाद भूमि संयुक्त मुश्तर्फा की खातेदारी दर्ज है संयुक्त मुश्तर्फा की खातेदारी भूमि में सह खातेदारों को भूमि के उपयोग उपभोग में बराबर का हक होता है इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है तो अपनी कृषि भूमि के नियमित उपयोग—उपभोग में परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी अप्रार्थी के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्ध साबित है।

3. अपूर्णीय क्षतिः— उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन बिन्दू भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चूंकि उक्त विवादित रकबे पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के कारण अप्रार्थी को खातेदारी के उपयोग—उपभोग व अन्य विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रताप ने अपने हक हिस्से की वाद भूमि को घरेलू जरूरतों के हिसाब से बैय किया है यदि सम्पूर्ण वाद भूमि पर स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 भी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश दिया जाता है तो अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के नियमित उपयोग उपभोग से वंचित किया जायेगा जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति [illegible] साबित होने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 [illegible] होने के कारण खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:01:44 IST
Reason: SelfAttested